

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभासी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर सीधी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मायापुर खुटेली लौआर रोड से बिछरी रोड तक मार्ग के उन्नयन/जमरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सीधी को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 04.2020
स्थान: भोपाल

(संजय मोहरीर)

पदेन सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग, वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)